भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 910

दिनांक 07 फरवरी, 2023 के लिए प्रश्न

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत दंड के प्रावधानों में संशोधन

910. श्री भागीरथ चौधरी:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने सरकार को भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए. नागराज के मामले में निर्देश दिया है कि वह पशुओं की स्वतंत्रता के संबंध में उनके पांच मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त निदेशों के अनुपालन के लिए की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत कठोर दंड के प्रावधान में संशोधन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) जी हाँ।

(ख) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के क्रियान्वयन हेतु, भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड, (एडब्ल्यूबीआई) जोकि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, ने विभिन्न परामर्शियां जारी की हैं, प्रशिक्षण और सेमिनार के माध्यम से जागरूकता का संचालन किया है और रिपोर्ट की गई क्रूरता की घटनाओं, जहां पांच स्वतंत्रताओं का उल्लंघन किया गया था, के जवाब में कार्रवाई की है। एडब्ल्यूबीआई ने राज्य प्राधिकारियों को ऐसी 49 परामर्शियां जारी की है, जिसमें राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले में निर्धारित पशुओं की पांचों स्वतंत्रताएं सुनिश्चित करें। इसके अलावा, एडबल्यूबीआई ने जागरूकता पैदा करने के लिए 34 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और रिपोर्ट की गई क्रूरता, जहां पांचों स्वतंत्रताओं का उल्लंघन किया गया था के खिलाफ 3364 पत्र जारी किए हैं।

(ग) और (घ) जी हाँ। सरकार ने पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण विधेयक के प्रस्तावित मसौदे में और कड़ी सजा के साथ जुर्माने को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।

******